न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस.ए.आर. अपील वाद सं. 67आर15/07–08

भोसा उराँव

बनाम

जतरू उराँव एवं अन्य

आदेश

2/9/09

यह अपीलवाद श्री देवनीस किड़ो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस.ए.आर. वाद सं. 306/06–07 में पारित आदेश दिनांक 19.12.07 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कमड़े	001	271	1-31ए.
		272	0.13 ए.
		कुल रकबा	1.44 ए.

इस वाद में उभय पक्ष उपस्थित हुए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उनके द्वारा दायर कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता का दावा है कि यह भूमि खतियान में करमा उराँव वो जितराम उराँव पेशरान बंधु उराँव व हिस्सा बराबर दर्ज है। करमा उराँव आसाम गये एवं वही इनकी मृत्यु हो गई। इनके कोई वारिस दावेदार नहीं हैं। जीतराम उराँव की एक पुत्री अड़चिया उराँईन उर्फ धान, पति स्व. घसिया उराँव थी। चूँकि जितराम के कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उनका देखभाल घसिया उराँव बचपन से ही करता था। बाद में उसने अड़चिया से विवाह कर लिया तथा उसे घरदामाद पुत्र के नाम से स्वीकार किया गया। जितराम उराँव के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी

1

5

3

के रूप में अड़सिया उराईन दो घसिया उरॉव भूमि पर हक हकियत तथा दखल में आये तथा खेतीबारी करने लगे। अपने हक के दावे के सम्बन्ध में इनके द्वारा JLJR 2004 page 582 की प्रति प्रस्तुत किया गया है। भोसा उरॉव, घसिया उरॉव के पुत्र हैं। इनका आगे कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 के द्वारा जमीन हड़पने के नियत से तीन जमीन वापसी मुकदमा सं. 28/07–08 जतरू उरॉव बनाम राम सिंह वगै. खाता सं. 01, प्लॉट सं. 548, रकबा 21 क0 के लिए वाद सं. 172/06–07 जतरू उरॉव बनाम मोहना उरॉव खता सं. 1, प्लॉट सं. 271, रकबा 1.31 एकड़, प्लॉट सं. 272, रकबा 13 डी. के लिये तथा वाद सं. 366/06–07 जतरू उरॉव बनाम रामसेवक वगै. खाता सं. 01, प्लॉट सं. 272, रकबा 22 कट्ठा के लिए एस.ए.आर. दायर किये। उक्त वाद में एक पक्षीय सुनवाई हुई तथा प्रतिवादी सं. 01 से 5 तक यह आदेश लेने में सफल रहे कि वर्त्तमान विपक्षी रामसेवक वर्मा को जमीन से बेदखल किया जाय। जब यह बात अपीलार्थी को मालूम चला तो वे निम्न न्यायालय में हस्तक्षेप के रूप में आवेदन दिया कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक ना तो खतियानी रैयत हैं और न ही उनके वारिशन/इनके द्वारा गलत ओदश प्राप्त कर लिया गया है। न्यायालय द्वारा इनके आवेदन को खारित करते हुए यह आदेश दिया कि यह स्वत्व का मामला है हस्तक्षेपी अपने दावे की पुष्टि में Title Suit दायर कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि चूँकि विपक्षी गैर आदिवासी हैं अतः इनको हटाकर दखल सौंपा जाय।

अपीलार्थी का कहना है कि इनके द्वारा टाईटल सुट का मुकदमा भी दायर किया गया है जिसका T.S. No. 44/08 है। मामला सबजज के न्यायालय में सुनवाई हेतु लम्बित है।

इनका आगे कहना है कि विभिन्न मुकदमों में दायर वंशावली से स्पष्ट होगा कि खाता सं. 1 के खतियानी रैयत करमा उरॉव के वंशज,

अपीलार्थी का प्रतिवादी सं. 1 से 5 एवं 6 से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका गोत्र भी अलग –अलग है। अर्थात प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक खतियानी रैयत से कोई सम्बन्ध नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय की दृष्टि से गलत है। आदेश गलत व्यक्ति के पक्ष में पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निरस्त करते हुए अपील को स्वीकृत किया जाय।

प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में करमू उरॉव वो जितराम उरॉव, पिता बंधु उरॉव के नाम से है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 खतियानी रैयत के nearest agent के हैसियत से प्रतिवादी सं. 7 से 12 तक के विरूद्ध एस.ए.आर. वाद दायर किये क्योकि ये उक्त भूमि पर अवैध दखलकार थे। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.07 को प्रतिवादी सं. 7 से 12 के विरूद्ध दखल देहानी का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 12 तक के द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया है। अपीलार्थी का दावा उनकी मां की ओर से है जो खतियानी रैयत जितराम उरॉव की पुत्री हैं। जितराम उरॉव की मृत्यु हो गई। उनके कोई पुत्र नहीं था। Oraon Customary Low के अनुसार स्त्री एवं पुत्री का उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं है। मात्र कुँआरी पुत्री को शादी तक maintain का हक है। Last male owner की बची भूमि उनके nearest agent को चला जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 खतियानी रैयत के nearest agent है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 एवं 6 प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए। वास्तव में अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 7 से 12 को भूमि बिक्री करने लगे तथा उनकी नियत भूमि हड़पने की है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक के हक हकियत पर आपत्ति की है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक द्वारा C.S. record of right की प्रति दाखिल किया गया है जिसमें खाता सं. 6 बंधना उरॉव पिता मगही उरॉव तथा खाता सं. 6 भिखा उरॉव पिता मगही उरॉव के नाम से है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि बंधना उरॉव एवं भिखा उरॉव दानों आपस में भाई थे। इनके द्वारा कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतियादी सं. 1 से 5 C.S. Khata No. 5 के nearest agent हुए। अपीलार्थी द्वारा गलत ब्यान दिया गया है कि खतियानी रैयत के एक मात्र पुत्री जितराम उरॉव का दमाद थे। अपीलार्थी द्वारा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची केन्यायालय में SAR वाद सं. 62/98–99 दायर किया गया था जिसमें उन्होने अपने को खतियानी रैयत बन्धु उरॉव के पुत्र बताया है। दूसरी ओर इस वाद में इन्होने घसिया के पुत्र बता रहे हैं। इस प्रकार उनका दावा गलत एवं बनावटी है।

इसका आगे कहना है कि प्रतिवादी सं. 7 से 12 के पास कोई valid legal documents नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। एक ओर तो अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय का आदेश को स्वीकार करते हुए Title Suit वाद दायर कर रखा है दूसरी ओर इनके द्वारा यह अपील भी दायर किया गया है। अतः इनका अनुरोध है उक्त आधार पर यह अपील वाद को खारिज किया जाय।

प्रतिवदी सं. 6, सुनील उरॉव की ओर से बताया गया कि ये खतियानी रैयत मनी उरॉव के उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी सं. 6 का अपीलार्थी के ज्ञातों का समर्थन करते हुए कहना है कि खतियानी रैयत जितराम उरॉव के पुत्री अमनिया देवी के पति (घरदामाद) थे। प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक का अलग खाता है। इनका प्रश्नगत भूमि पर कोई हक हकियत नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि इस अपील वाद में अपीलार्थी एवं प्रतियादी सं. 1 से 6 तक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। दोनों पक्षों द्वारा भूमि वापसी के आदेश को सही बताते हुए अपने पक्ष में दखल देहानी कराये जाने का आधार अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत के घरदामाद होने पर आधारित है एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 का

दावा नजदिकी भैयाद पर आधारित है। इन दोनों पक्षों के विवाद का बिन्दु हक हकियत एवं उत्तराधिकार से सम्बन्धित है और इसके लिये दोनों पक्षों के बीच व्यवहार न्यायालय में T.S. वाद सं. 44/08 सबजज के न्यायालय में लम्बित है। इस बीच किसी एक पक्ष के हक हकियत एवं उत्तराधिकर पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक धारा 71 'ए' के अन्तर्गत भूमि वापसी का प्रश्न है अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विपक्षी सं. 7 से 12 तक को तकरारी जमीन से बेदखल कर उक्त भूमि का नियंत्रण अपने पास रखें जब तक कि दोनों पक्षों के बीच स्वत्व वाद सं. 44/08 का निपटारा अंतीम रूप से नहीं हो जाता।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

30/9/09

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.21 18:24:49 +05:30
Location: 192.168.2.175